न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी:- रक्षा पारिक, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 49 / 2025
दायर दिनांक:- 25 / 03 / 2025
निर्णय दिनांक:- 05 / 06 / 2025

अनवान

1. हुक्मीचन्द पिता इन्द्रलालजी जाट निवासी, गुंजोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द

विपक्षी

उपस्थित :-
प्रार्थी की ओर से – श्री दिनेशचन्द्र श्रीमाली, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 05 / 06 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि मौजा व पटवार हल्का गुंजोल, भू अभिलेख निरिक्षक गुंजोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी संख्या 492 में अंकित आराजी सं. 1297 रकबा 1.5302 किस्म बंझड स्थित होकर संयुक्त खातेदार प्रार्थी व अन्य सह खातेदार के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित थी जिससे विभाजन होने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन होकर निम्नलिखित अन्य सह खातेदार कल्पना कुंवर पत्नि ऋषिराज, हुक्मीचन्द व हजारीलाल पिता इन्द्रलाल, हरिराम दत्तक पुत्र मोतीलाल, नीलम पत्नि प्रवीण, पारस व भूरी पुत्री भंवरलाल, भंवरसिंह पिता नरेन्द्रपालसिंह, मणिकान्त दत्तक पुत्र छन्नुसिंह, मदनमोहन पुत्र रामकृष्ण, मांगीलाल व मोहन लाल पिता भंवरलाल को उक्त आराजीयात का विभाजन किया जाकर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर आधिपत्य कर लिया इस प्रकार मूल आराजी नम्बर 1297 का विभाजन होने के पष्चात् उसका नया मीन नम्बर 1946 / 1297 बना तथा 1297 के विभाजन होने पर उक्त आराजीयात के पूर्व दिषा में उक्त आराजी में जाने हेतु सभी खातेदार ने रास्ता छोड दिया तथा उक्त रास्ता इसी आराजी का भाग हैं लेकिन उक्त रास्ता का नया मीन नम्बर 1941 / 1297 बना हैं तथा इसके अंतिम भाग के बाद स्थित भूमि जिसको नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी भाग होकर लाल रंग से चिन्हित किया गया हैं वह भूमि भी विभाजन में प्रार्थी के हिस्से में आई क्योंकि उक्त हिस्से में आई भूमि से स्थित पडौस की भूमि प्रार्थी की आराजी हैं। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड का प्रमाणित नक्षा पेष

(उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा (राज.)

किया जा रहा हैं जिसके साथ नजरी नक्शे का ए से बी भाग वाली भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई हैं लेकिन राजस्व अधिकारी की भूल की वजह से तथा गूगल मैप के अनुसार संलग्न नजरी नक्शे का ए से बी भाग आराजी नम्बर 1290 में मिला दिया गया हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी भाग जो कि पूर्व के प्रमाणित नक्शे में उक्त भूमि प्रार्थी की ही होना अंकित कर रखा हैं इसलिए नजरी नक्शे के अनुसार प्रमाणित नक्शे में पुनः उक्त भूमि प्रार्थी के नाम पर नक्शे में संशोधित कर प्रविष्टि दर्ज की जाना विधि अनुकुल होगा। उक्त त्रुटि राजस्व अधिकारीयों की भूल की वजह से हुई हैं इसलिए उक्त भूल का सुधार किया जाना न्यायसंगत होगा। नक्शे में उक्त शुद्धि किये जाने पर ही प्रार्थी का रकबा पुरा हो पायेगा तथा उक्त शुद्धि करने से अन्य स्थित आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा और इस वजह से पडौस में स्थित आराजीयात के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं तथा न ही प्रार्थी को उनसे किसी प्रकार की दाद की आवश्यकता हैं। प्रार्थी के हिस्से की भूमि नक्शे में कम्प्यूटर से राजस्व रेकर्ड में अंकन करते समय सेवन से विपक्षी के कर्मचारियों द्वारा गलत अंकित हो गई हैं तथा उक्त भूल को सुधारने के लिए विपक्षी भूमिधारी होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा गुंजोल तहसील नाथद्वारा के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी सं. 492 में अंकित आराजी नं. 1297 के प्रमाणित नक्शे अनुसार पेश किये गये नजरी नक्शे गलत प्रविष्टि दर्ज हो जाने से ए से बी भाग को नक्शे में तरमीमात किये जाने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार नाथद्वारा ने अपने पत्रांक 413 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत की गई है कि ग्राम गुंजोल के विभाजन पूर्व खसरा संख्या 1297 रकबा 1.5302 हैक्टेयर थी जिसका विभाजन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 332/2008 में निर्णय दिनांक 13.01.2023 की पालना में ग्राम गुंजोल के खसरा संख्या 1297 का भी विभाजन किया गया। ग्राम गुंजोल खसरा संख्या 1297 के विभाजन से नवीन खसरा संख्या 1939/1297, 1940/1297, 1942/1297, 1943/1297, 1944/1297, 1945/1297, 1946/1297, 1947/1297, 1948/1297, 1949/1297 बने है। सेटलमेंट नक्शा शीट अनुसार खसरा संख्या 1297 का नक्शे जो भाग DILRMP नक्शा बनाते समय खसरा संख्या 1290 में जुड गया था उसे खसरा संख्या 1941/1297 में जोडा जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि विपक्षी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेंट नक्शा शीट अनुसार खसरा संख्या 1297 का नक्शे जो भाग DILRMP नक्शा बनाते समय खसरा संख्या 1290 में जुड गया था उसे खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

1941/1297 में जोडा जाना उचित होना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

अतः प्रार्थी का अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा व पटवार हल्का गुंजोल तहसील नाथद्वारा के खसरा संख्या 1297 बाबत् तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1297 का नक्शे जो भाग DILRMP नक्शा बनाते समय खसरा संख्या 1290 में जुड गया था उसे खसरा संख्या 1941/1297 में जोडा जाकर राजस्व नक्शें में शुद्वि किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

(रक्षा पारिक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द